सं0:– 2/Agl–101/2005 (खण्ड) स.क.– 685/17.5.2017

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं ह0)
बिहार, पटना।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में गैर योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा के अधीन वस्त्र वितरण कार्यक्रम के तहत् राज्य के भूमिहीन, निर्धन, भिक्षुकों एवं असहाय के बीच धोती, साड़ी चादर (सूती) एवं कम्बल (ऊनी) वितरण हेतु रू0 2,00,00,000/– (दो करोड़ रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश–स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में सामाजिक सुरक्षा गैर योजना के अन्तर्गत वस्त्र वितरण कार्यक्रम के अधीन राज्य के निर्धन, अपंग, भिक्षुकों, भूमिहीन, असहाय व्यक्तियों को धोती, साड़ी चादर (सूती) एवं कम्बलों (ऊनी) का क्रय कर मुफ्त वितरण का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

2. चालू वित्तीय 2017–18 में सामाजिक सुरक्षा गैर योजनान्तर्गत वस्त्र वितरण कार्यक्रम के अधीन धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं कम्बल (ऊनी) के वितरण हेतु सभी जिलों को कुल रू0 2,00,00,000/– (दो करोड़ रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति संलग्न जिलावार विवरणी के अनुसार प्रदान की जाती है।

3. चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में मांग संख्या–51, मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष–0002–सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत वस्त्र वितरण, विषय शीर्ष–3106–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड–51-2235602000002 के अधीन विकलनीय होगा। रू0 2,00,00,000/–(दो करोड़ रूपये) मात्र से सूती साड़ी, धोती, चादर एवं ऊनी कम्बल क्रय कर भिक्षुकों, अपंग, असहाय व्यक्तियों के बीच मुफ्त वितरण किया जायगा। इस योजना में निःसहाय विधवाओं को प्राथमिकता दी जायगी।

4. सूती वस्त्रों एवं कम्बलों का क्रय बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निर्धारित क्रय प्रक्रियाओं के आलोक में किया जाएगा।

5. निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत राशि जिलों को आवंटित की जाएगी। जिला पदाधिकारी आवंटित राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र सीधे महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

6. चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में निधि का आवंटन, गत वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के उपरान्त ही जिलों को विमुक्त किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0............../2

O/C

7. गरीबी रेखा के अधीन जनसंख्या के अनुपातिक सभी जिलों को स्वीकृत राशि का जिलावार आवंटन निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

8. जिला पदाधिकारियों द्वारा वस्त्रों का क्रय कर उसका इन्द्राज (Entry) स्टॉक रजिस्टर में किया जायेगा एवं वस्त्रों का वितरण करनेवाले पदाधिकारियों द्वारा उसकी प्रविष्टि उनके स्टॉफ/निर्गत पंजी में की जायेगी।

लाभान्वितों की सूची (पता सहित) एक अलग पंजी में संधारित की जायेगी।

9. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक–I में वर्णित संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे तथा संबंधित जिला कोषागार से राशि की निकासी की जायगी।

10. इस कार्यक्रम के नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना होंगे।

11. योजना के व्यय में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. इस स्वीकृति आदेश में संचिका सं0–2/Agl–101/2005 (खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ–64 दिनांक–15.05.2017 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नकः–यथोपरि।

Dthakur 15.5.17
(धनंजय ठाकुर),
विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–2/Agl–101/2005 (खण्ड) स.क.– 685 पटना, दिनांक :– 17.5.17
प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Dthakur 15.5.17
विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–2/Agl–101/2005 (खण्ड) स.क.– 685 पटना, दिनांक :– 17.5.17
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Dthakur 15.5.17
विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

E/Assistant/Jha/Sanlekh-2017-18/1-2

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2017–18 में वस्त्र वितरण कार्यक्रम के तहत उपबंधित राशि रु0 2.00 करोड़ की जिलावार स्वीकृत राशि की विवरणीः–

कुल उपबंधित राशि / बी0पी0एल0 संख्या = 20000000 / 42975120 = 0.23

क्र.सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	संबंधित जिला कोषागार का नाम	कुल स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	जिला पदाधिकारी, अररिया	जिला कोषागार, अररिया	536000	
2	जिला पदा0, औरंगाबाद	जिला कोषागार, औरंगाबाद	392000	
3	जिला पदा0, बेगूसराय	जिला कोषागार, बेगूसराय	536000	
4	जिला पदा0, बांका	जिला कोषागार, बांका	348000	
5	जिला पदा0, कैमूर (भभुआ)	जिला कोषागार, कैमूर (भभुआ)	308000	
6	जिला पदा0, भागलपुर	जिला कोषागार, भागलपुर	532000	
7	जिला पदा0, भोजपुर	जिला कोषागार, भोजपुर	472000	
8	जिला पदा0, बक्सर	जिला कोषागार, बक्सर	296000	
9	जिला पदा0, सारण (छपरा)	जिला कोषागार, सारण (छपरा)	732000	
10	जिला पदा0, दरभंगा	जिला कोषागार, दरभंगा	664000	
11	जिला पदा0, पूर्वी चम्पारण	जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण	1008000	
12	जिला पदा0, गया	जिला कोषागार, गया	648000	
13	जिला पदा0, गोपालगंज	जिला कोषागार, गोपालगंज	460000	
14	जिला पदा0, जहानाबाद	जिला कोषागार, जहानाबाद	168000	
15	जिला पदा0, जमुई	जिला कोषागार, जमुई	344000	
16	जिला पदा0, कटिहार	जिला कोषागार, कटिहार	524000	
17	जिला पदा0, खगड़िया	जिला कोषागार, खगड़िया	396000	
18	जिला पदा0, किशनगंज	जिला कोषागार, किशनगंज	460000	
19	जिला पदा0, लखीसराय	जिला कोषागार, लखीसराय	148000	
20	जिला पदा0, मधेपुरा	जिला कोषागार, मधेपुरा	400000	
21	जिला पदा0, मधुबनी	जिला कोषागार, मधुबनी	1096000	
22	जिला पदा0, मुंगेर	जिला कोषागार, मुंगेर	280000	
23	जिला पदा0, मुजफ्फरपुर	जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर	1020000	
24	जिला पदा0, नालन्दा	जिला कोषागार, नालन्दा	616000	
25	जिला पदा0, नवादा	जिला कोषागार, नवादा	336000	
26	जिला पदा0, पटना	जिला कोषागार, पटना	960000	
27	जिला पदा0, पूर्णियाँ	जिला कोषागार, पूर्णियाँ	820000	
28	जिला पदा0, रोतहास	जिला कोषागार, रोतहास	508000	
29	जिला पदा0, सहरसा	जिला कोषागार, सहरसा	380000	
30	जिला पदा0, समस्तीपुर	जिला कोषागार, समस्तीपुर	764000	
31	जिला पदा0, शेखपुरा	जिला कोषागार, शेखपुरा	112000	
32	जिला पदा0, शिवहर	जिला कोषागार, शिवहर	136000	
33	जिला पदा0, सीतामढ़ी	जिला कोषागार, सीतामढ़ी	752000	
34	जिला पदा0, सिवान	जिला कोषागार, सिवान	532000	
35	जिला पदा0, सुपौल	जिला कोषागार, सुपौल	520000	
36	जिला पदा0, वैशाली	जिला कोषागार, वैशाली	820000	
37	जिला पदा0, प0 चम्पारण	जिला कोषागार, प0 चम्पारण	848000	
38	जिला पदा0, अरवल	जिला कोषागार, अरवल	128000	
		कुल योगः–	**20000000**	

(रुपये दो करोड़) मात्र

Dhanyr
15.5.17

विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

Computer-4/Cloth Distribution/Sh-1/P-7